

थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 25000/-रु0 के इनामिया 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स की अगुवाई में दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा मु०अ०स०-475/24 धारा-64/352/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट तथा मु०अ०स० 604/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित 25000/-रु0 के इनामिया अभियुक्त अन्नू पुत्र अतरपाल निवासी नेकपुर गली नं० 5 थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया।

घटना क्रम :- थाना सिविल लाइन पर दिनांक 02.09.2024 को वादिनी श्रीमती सुनीता पत्नी सुरेश निवासी गली नं० 5 नेकपुर थाना सिविल लाइन बदायूँ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी नाबालिग पुत्री को अन्नू पुत्र अतरपाल निवासी नेकपुर गली नं० 5 थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ अपने घर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया शिकायत करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु०अ०स०-475/24 धारा-64/352/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अन्नू पुत्र अतरपाल निवासी नेकपुर गली नं० 5 थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मा० न्यायालय में अभियुक्त अन्नू उपरोक्त की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण धारा 84/85 बीएनएसएस (कुर्की की कार्यवाही के उपरान्त) के उपरान्त मफरूरी में आरोप पत्र दि० 03.02.2025 को मा० न्यायालय प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त अन्नू वादिनी श्रीमती सुनीता पत्नी सुरेश की नाबालिग पुत्री को दि० 01.10.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती सुनीता उपरोक्त की तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 604/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अन्नू आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण सार्थक प्रयासों के उपरान्त अभियुक्त अन्नू उपरोक्त के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ द्वारा गिरफ्तारी हेतु 25000रु0 का इनाम घोषित किया गया। आज दिनांक 24.01.2026 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा 25000/-रु0 के इनामिया वांछित अभियुक्त अन्नू उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर बड़े सरकार मोड़ पास उझानी रोड बदायूँ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। तथा मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान –

- बड़े सरकार मोड़ पास उझानी रोड बदायूँ थाना सिविल लाइन क्षेत्र जनपद बदायूँ।

गिरफ्तार किये गये अभि० का नाम –

1. अन्नू पुत्र अतरपाल निवासी नेकपुर गली नं० 5 थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ उम्र 20 वर्ष।

अभि० का अभियोग / अपराधिक इतिहास –

- मु०अ०स०-475/2024 धारा- धारा-64/352/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सिविल लाइन बदायूं
- मु०अ०स० 604/24 धारा 137(2)/87/64/64(2)(m) बीएनएस व 5(j)(2) /6 पाक्सो एक्ट थाना सिविल लाइन बदायूं
- मु०अ०स० 652/24 धारा 209 बीएनएस थाना सिविल लाइन बदायूं

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक अपराध श्री उमेश कुमार मय टीम ।

सोशल मीडिया सेल, बदायूं ।